रजिस्ट्री सं० डी० एल० (एन)-04/0007/2003-05 REGISTERED NO. DL (N)-04/0007/2003-05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 31—फरवरी 6, 2004 (माघ 11, 1925)
No. 5] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 31—FEBRUARY 6, 2004 (MAGHA 11, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत् नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	61
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	85
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	*
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	85
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1 क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड—(iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	47
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	265
भाग III—खण्ड 3—पुस्तक आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	101
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	29
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्मुरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।

CONTENTS

	Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	61
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	85
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ..	85
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations ..	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations ..	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Gnvernment of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India. ..	47
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs ..	265
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners ..	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..	101
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies ..	29
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

*Folios not received

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 जनवरी, 2004

सं० टी०एफ०सी०/9/2003—जबकि भारत सरकार ने बल्क भंडारण पर जोर देने के साथ खाद्यान्नों के संबंध में आधुनिक प्रौद्योगिकी अर्थात् हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई में आटोमेशन लागु करने के लिए 20 जून, 2000 को खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई संबंधी राष्ट्रीय नीति की घोषणा की थी ।

2. जबकि सरकार ने 4 जुलाई, 2000 को खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई संबंधी राष्ट्रीय भंडारण नीति पर एक संकल्प अधिसूचित किया था, जिसमें पैरा 5(क) में खाद्यान्नों की बल्क हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई करने के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास करने संबंधी परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी के लिए एक अनुमोदन मंडल स्थापित करने की परिकल्पना की गई थी ।

3. अतः अब सरकार एतद्द्वारा निम्नानुसार अनुमोदन मंडल का गठन करती है :—

अध्यक्ष

(i) सचिव
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

सदस्य

(ii) अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(iii) कृषि मंत्रालय
कृषि और सहकारिता विभाग से
एक प्रतिनिधि

(iv) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के
वाणिज्य विभाग से
एक प्रतिनिधि

(v) वित्त मंत्रालय के
व्यय विभाग से
एक प्रतिनिधि

(vi) रेलवे बोर्ड (ई०डी०, टी०टीएफ०) से
एक प्रतिनिधि

(vii) योजना आयोग से
एक प्रतिनिधि

(viii) प्रबंध निदेशक
भारतीय खाद्य निगम
सदस्य सचिव

(ix) संयुक्त सचिव (संग्रह एवं प्रशासन)
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

4. अनुमोदन मंडल जब कभी अपेक्षित हो किसी विषय के विशेषज्ञ को सहयोजित कर सकता है अथवा उसका सहयोग ले सकता है ।

5. अनुमोदन मंडल को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं:—

(i) खाद्यान्नों की हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई संबंधी राष्ट्रीय नीति के अधीन देश में खाद्यान्नों की बल्क हैंडलिंग, भंडारण और ढुलाई के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास करने हेतु परियोजनाओं का अनुमोदन करना ।

(ii) इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की देखभाल और मानीटरिंग करना ।

(iii) इन परियोजनाओं की शीघ्र मंजूरी के लिए किसी प्रकार की सहायता देना ।

(iv) राष्ट्रीय भंडारण नीति में निहित उद्देश्यों के क्रियान्वयन से संबंधित कोई अन्य कार्य करना ।

यह अधिसूचना उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के अनुमोदन से जारी की जा रही है ।

एस० के० श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food & Public Distribution)

New Delhi the 19th January, 2004

NO. TFC/9/2003—Whereas the Government of India had announced a National policy on handling, storage and transportation of foodgrains on June 20, 2000, to introduce modern technology i.e. automation in handling, storage and transportation of foodgrains with emphasis on bulk storage.

2. Whereas the Government had notified a Resolution on National storage policy on handling, storage and transportation of foodgrains on July 4, 2000, wherein para 5(a) envisaged setting up an Approval Board to facilitate speedy clearance of the projects concerning development of infrastructure for bulk handling, storage and transportation of foodgrains.

3. Now therefore, the Government hereby constitutes an approval Board as follows :

Chairman

(i) Secretary
Department of food & Public Distribution
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution

Member

(ii) Additional Secretary & Financial Advisor
Department of Food & Public Distribution
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution

(iii) A representative from
Ministry of Agriculture
Department of Agriculture & Cooperation

(iv) A representative from
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce

(v) A representative from
Ministry of Finance
Department of Expenditure

(vi) A representative from
Railway Board (ED, TTF)

(vii) A representative from
Planning Commission

(viii) Managing Director
Food Corporation of India

Member Secretary

(ix) Joint Secretary (Storage & Admn)
Department of Food & Public Distribution
Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution

4. The Approval Board may co-opt/associate any subject matter expert as and when required.

5. The Approval Board is entrusted the following assignment :-

(i) To approve the projects for development of infrastructure for bulk handling, storage and transportation of foodgrains in the country under National policy on handling, storage and transportation of foodgrains.

(ii) To oversee and monitor the implementation of these projects.

(iii) To render any assistance for speedy clearance of these projects.

(iv) Any other work related to implementation of objectives contained in the National storage policy.

This issues with the approval of Minister of Consumer Affairs, Food & Public Distribution.

S. K. Srivastava
Joint Secretary

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित. 2004
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2004